रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092025-266490
CG-DL-E-27092025-266490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947
No. 630] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 714(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा जिस तरीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

पूर्वोवत अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ — (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (...........संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) बशर्ते, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, नियम 120 में, उप नियम (2) के पश्चात्, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित नए उपबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"यह भी प्रावधान है कि नए मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2026 को और उसके बाद तथा मौजूदा मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2027 को, श्रेणी एम और एन के विद्युतीकृत वाहनों में ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली (एवीएएस) लगाई जाएगी, जो समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-173 में निर्दिष्ट श्रव्यता के संबंध में अपेक्षाओं को पूरा करेगी।"

3. उक्त नियमों में, नियम 138 के उप नियम (4) में, मद (क) में,

शब्द और अंक “एम1” के स्थान पर शब्द और अंक “एम1, एल5, एल7, ई-रिक्शा और ई-कार्ट” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11036/103/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

नोटः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 889(अ), दिनांकित 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना सं...........दिनांकित .... द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

G.S.R. 714(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1)These rules may be called as the Central Motor Vehicles (………. Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 120, after sub-rule (2), after the second proviso following new provisions shall be inserted, namely: -

"Provided also that, on and after 1st October 2026 in case of new models and 1st October 2027 in case of existing models, electrified vehicles of category M and N shall be fitted with Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) meeting requirements with regard to audibility as specified in AIS-173, as amended from time to time."

3. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (4), in item (a),

For the words and figures "M1" substitute the words and figures "M1, L5, L7, E-rickshaw and E-cart".

[F. No. RT-11036/103/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020 and lastly amended vide Notification number …….. dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA